संख्या-05/2020/616/94-1-2020-312(05)/2020

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन|

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ|

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 25 जून, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष नौ माह के लिए आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-87/नौ-104(मुख्यालय)/2020 दिनांक 05-06-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-91 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 03-मुख्यालय मतदेय मद में रु० 3040.37 लाख (रु० तीस करोड़ चालीस लाख सैतीस हजार मात्र) एवं 04-जिला व्यय मतदेय मद में रु० 10482.73 लाख (रु० एक अरब चार करोड़ बयासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) तथा 2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रु० 13523.10 लाख (रु0 एक अरब पैतीस करोड़ तेईस लाख दस हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैंः-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है| जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केंद्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये|

(2) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गए व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये|

(3) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के सम्बन्ध में बजट मैन्युअल में दिए गए निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ़ फाइनेंसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय|

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को पृष्ठंकित की गयी है| अतः उक्त आदेश में निहित निर्देश/प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें|

सलंग्नक: यथोक्त|

भवदीय,

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव|

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार |

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज|
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज|
3) महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र० प्रयागराज|
4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज|
5) वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ|
6) निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ|
7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9) गार्ड फाइल|

आज्ञा से,

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-05/2020/616/94-1-2020-312(05)/2020

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-मुख्यालय

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय	आय-व्ययक अनुमान 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित धनराशि (आगामी नौ माह हेतु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	2420.00	2420.00	1815.00	
2	02-मजदूरी	5.00	5.00	3.75	
3	03-मंहगाई भत्ता	605.00	605.00	453.75	
4	04-यात्रा व्यय	25.00	25.00	18.75	
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15.00	15.00	11.25	
6	06-अन्य भत्ते	15.00	15.00	11.25	
7	07-मानदेय	0.25	0.25	0.19	
8	08-कार्यालय व्यय	140.00	140.00	105.00	
9	09-विद्युत देय	50.00	50.00	37.50	
10	10-जलकर/जलप्रभार	8.00	8.00	6.00	
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40.00	40.00	30.00	
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30.00	30.00	22.50	
13	13-टेलीफोन पर व्यय	60.00	60.00	45.00	
14	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	220.00	220.00	165.00	
15	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25.00	25.00	18.75	
16	17-किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	3.00	3.00	2.25	
17	19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन पर व्यय	0.50	0.50	0.37	
18	23-गुप्त सेवा पर व्यय	0.50	0.50	0.37	
19	42-अन्य व्यय (मतदेय)	0.10	0.10	0.07	
20	42-अन्य व्यय (भारित)	0.01	0.01	0.01	
21	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	3.00	3.00	2.25	
22	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50	0.37	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20.00	20.00	15.00	
24	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30.00	30.00	22.50	
25	49-चिकित्सा व्यय	25.00	25.00	18.75	
26	51-वर्दी व्यय	2.00	2.00	1.50	
27	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	---	---	---	
28	55-मकान किराया भत्ता	160.00	160.00	120.00	
29	56-नगर प्रतिकर भत्ता	26.00	26.00	19.50	
30	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	125.00	125.00	93.75	
	कुल योग (मतदेय)	**4053.85**	**4053.85**	**3040.37**	
	भारित	**0.01**	**0.01**	**0.01**	

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 04-जिला व्यय

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय	आय-व्ययक अनुमान 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित धनराशि (आगामी नौ माह हेतु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	9020.00	9020.00	6765.00	
2	02-मजदूरी	15.00	15.00	11.25	
3	03-मंहगाई भत्ता	2255.00	2255.00	1691.25	
4	04-यात्रा व्यय	6.50	6.50	4.87	
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.50	5.50	4.12	
6	06-अन्य भत्ते	20.00	20.00	15.00	
7	07-मानदेय	0.50	0.50	0.37	
8	08-कार्यालय व्यय	500.00	500.00	375.00	
9	09-विद्युत देय	300.00	300.00	225.00	
10	10-जलकर/जलप्रभार	6.00	6.00	4.50	
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40.00	40.00	30.00	
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400.00	400.00	300.00	
13	13-टेलीफोन पर व्यय	300.00	300.00	225.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8.00	8.00	6.00	
15	17-किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	175.00	175.00	131.25	
16	42-अन्य व्यय (मतदेय)	---	---	---	
17	42-अन्य व्यय (भारित)	0.01	0.01	0.01	
18	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	5.00	5.00	3.75	
19	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.50	1.50	1.12	
20	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	80.00	80.00	60.00	
21	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	175.00	175.00	131.25	
22	49-चिकित्सा व्यय	60.00	60.00	45.00	
23	51-वर्दी व्यय	4.00	4.00	3.00	
24	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	---	---	---	
25	55-मकान किराया भत्ता	400.00	400.00	300.00	
26	56-नगर प्रतिकर भत्ता	200.00	200.00	150.00	
	कुलयोग (मतदेय)	**13977.00**	**13977.00**	**10482.73**	
	(भारित)	**0.01**	**0.01**	**0.01**	
	कुल योग 03 मुख्यालय 04 जिला व्यय- रु० 13523.10 लाख (रु० एक अरब पैतीस करोड़ तेईस लाख दस हजार मात्र)				
	भारित-0.02				
	कुल योग 03 मुख्यालय 04 जिला व्यय (आगामी नौ माह हेतु)- रु० 13523.10 लाख (रु० एक अरब पैतीस करोड़ तेईस लाख दस हजार मात्र)				

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव|

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।